

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के अन्तर्गत पंचायतीराज नियम के तहत नियुक्ति सुयोग्य अध्यापक तृतीय श्रेणी को माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर समायोजन/स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र का प्रारूप

---

- अध्यापक का नाम:—
- पिता का नाम:—
- विद्यालय का नाम:—
- जन्म तिथि:—
- अध्यापक पद पर नियुक्ति तिथि:—
- चयन करने वाली जिला परिषद/जिला शिक्षा अधिकारी का नाम:—
- नियुक्ति अधिकारी का पद नाम:—
- यदि नियुक्ति पूर्व में हुई है एवं जिला स्थापना समिति द्वारा बाद में चयन किया गया हो तो:—
- नियुक्ति तिथि:—
- चयन जिस दिनांक से किया गया:—
- नियुक्ति के समय योग्यता शैक्षिक/प्रशैक्षिक:—
- सेवा काल में अर्जित योग्यता शैक्षिक/प्रशैक्षिक:—
- वर्तमान योग्यता शैक्षिक/प्रशैक्षिक:—

नोट— बीएड योग्यताधारी ही माध्यमिक कक्षाओं के लिये विकल्प कर सकेंगे।

- सीनियर हायरसेकण्डरी में संकाय:—
- स्नातक का विषय:—
- अधिस्नातक के विषय:—
- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना सही है, मैं पंचायतराज/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में नियुक्त हुआ था तथा अब मैं शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा) (दोनों में से कोई भी) में आने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा प्राथमिकता के क्रम में लिखे।

हस्ताक्षर

संबंधित अध्यापक

- क्या विभागीय जांच विचाराधीन है:—
- सेवाएं संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा दिया गया है (संलग्न करें):—
- प्रार्थी का पदस्थापन माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में होने पर कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने हेतु बाध्य होगा इस का शपथ पत्र संलग्न करें:—

प्रमाणित कर्ता के हस्ताक्षर,

नियुक्ति अधिकारी